भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2359
(10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

सीमावर्ती गांवों के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम

2359. श्री गुरजीत सिंह औजला:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक शौचालयों के निर्माण सहित स्वच्छता अवसंरचना के विकास तथा स्वच्छता और रखरखाव सुनिश्चित करने के उपायों के लिए अनुदानों का ब्यौरा क्या है;
(ख) बेहतर सड़क नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण सम्पर्क में सुधार लाने , आवश्यक सेवाओं और आर्थिक अवसरों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) सीमावर्ती गांवों में लोगों के जीवन स्तर को उन्नत करने , अवसंरचना में वृद्धि करने, आवास और आजीविका के अवसरों सहित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) की रिपोर्ट के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] का चरण II 1 अप्रैल, 2020 से 5 वर्षों की अवधि के लिए शुरू किया गया है , जिसका उद्देश्य गांवों की खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखना और सभी गांवों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के साथ कवर करना और दृष्टिगत रूप से स्वच्छ बनाना है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण [एसबीएम(जी)] के अंतर्गत जारी केंद्रीय अंश निम्नानुसार है:-

वर्ष	केंद्र द्वारा जारी किया गया केंद्रीय अंश (रुपए करोड़ में)
2021-22	3111.37
2022-23	4925.14
2023-24	6802.58
2024-25 (30.11.2024 की स्थिति के अनुसार)	1869.60

एसबीएम(जी) के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

- ग्रे-वाटर प्रबंधन, जहां भी संभव हो, जल सोखने वाले गड्ढों के माध्यम से या अन्य तकनीकियों जैसे अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाबों, निर्मित आर्द्रभूमि, विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणालियों (डीईडब्ल्यूएटीएस) आदि के माध्यम से किया जाता है।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) की व्यवस्था अर्थात आवासों और सभी सार्वजनिक स्थानों (प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत घर और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) के लिए जैव-निम्नीकरणीय और गैर-जैव-निम्नीकरणीय प्रणाली। एसडब्लूएम प्रणाली में एसडब्लूएम का संग्रहण, परिवहन, पृथक्करण, भंडारण और प्रबंधन शामिल है।
- ब्लॉक/जिला स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई)
- मल अपशिष्ट प्रबंधन (एफएसएम)

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास " के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए , ग्रामीण विकास मंत्रालय पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को कार्यान्वित कर रहा है। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत शुरूआत से ही मैदानी क्षेत्रों में लाभार्थियों को 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर राज्यों तथा पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश , उत्तराखंड, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में 1.30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण (एसबीएम-जी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) या वित्त पोषण के किसी अन्य विशिष्ट स्रोत के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता भी प्रदान की जाती है। मनरेगा के अंतर्गत अब तक लगभग 56.81 लाख व्यक्तिगत शौचालय, लगभग 1.4 लाख स्कूलों और आंगनबाड़ी शौचालय तथा 0.64 लाख सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण पूरा हो चुका है।

(ख): इस मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) भारत सरकार का एकबारगी विशेष कार्यकलाप है , जो कोर नेटवर्क में पात्र सड़क संपर्कविहीन बसावटों को एकल बारहमासी सड़क के माध्यम से ग्रामीण सड़क संपर्कता प्रदान करता है। इसे वर्ष 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के उपाय के रूप में शुरू किया गया था , जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें उपलब्ध कराकर बुनियादी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना था। इसके बाद, ग्रामीण सड़कों के उन्नयन और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए पीएमजीएसवाई के दायरे में पीएमजीएसवाई -II, वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) और पीएमजीएसवाई -III नामक नए कार्यकलाप /वर्टिकल शामिल किए गए। इस योजना की शुरुआत के बाद से 05.12.2024 तक पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यकलापों /कार्यों के तहत कुल 8,28,533 किलोमीटर सड़क लंबाई को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 7,69,128 किलोमीटर सड़क लंबाई पूरी हो चुकी है। पीएमजीएसवाई ने ग्रामीण जनता के लिए बाजार तक बेहतर पहुंच बनाने में मदद की है तथा विभिन्न रूपों में रोजगार सृजित किए हैं। इससे आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सामाजिक -आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में भी मदद मिली है। इस प्रकार , इससे गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने में मदद मिली है।

(ग): जैसा कि गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग द्वारा सूचित किया गया है , कि वह सीमावर्ती क्षेत्रों में गांवों /बसावटों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) को कार्यान्वित कर रहा है। वीवीपी एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 15 फरवरी, 2023 को अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के 19 जिलों में उत्तरी सीमा से सटे 46 ब्लॉकों के चुनिंदा गांवों के व्यापक विकास के लिए अनुमोदन दिया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के सड़क घटक , 113 सड़क परियोजनाओं और 08 लंबी दूरी के पुल (एलएसबी) परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है , जिनकी लागत 2420.89 करोड़ रुपये है , जिससे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में 136 सड़क संपर्कविहीन गांवों को जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत , पेयजल और स्वच्छता विभाग , जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए अपनी वार्षिक कार्यान्वयन योजना (एआईपी) वर्ष 2023-24 के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के दिशा-निर्देशों के अनुसार लागत के साथ अभिसरण के तहत 51 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है/उन पर विचार किया गया है।

बीएडीपी को स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) कोड वाले सभी गांवों /अर्ध-शहरी/शहरी बसावटों में कार्यान्वित किया गया है , जो भूमि सीमा साझा करने वाले 16 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों के 117 जिलों के 456 ब्लॉकों में अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं पर पहली बसावट से 0-10 किलोमीटर (हवाई/क्रो उड़ान) के भीतर स्थित हैं। सीमा प्रबंधन विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार , स्कूलों एवं अन्य स्थानों पर शौचालयों के निर्माण के लिए 23.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के 291 कार्य/परियोजनाएं तथा स्वच्छता के लिए 115.31 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के 729 कार्य/परियोजनाएं बीएडीपी के अंतर्गत स्वीकृत की गई हैं। बीएडीपी के अंतर्गत 4302.44 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के सड़क और पुलों के 12281 कार्य/परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त , बीएडीपी के अंतर्गत स्वास्थ्य , शिक्षा, कृषि, खेल, आजीविका एवं सामाजिक क्षेत्र में 2288.75 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के 13583 कार्य/परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

****